भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

राज्य सभा

लिखित प्रश्न सं. 2124

गुरूवार, 18 दिसम्बर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटक पुलिस की तैनाती

2124 श्रीमती जेबी माथेर हीशम:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मियों की तैनाती हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कोई विशेष वित्तीय पैकेज/सहायता प्रदान की जाएगी, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर समान पर्यटक पुलिस योजना के कार्यान्वयन हेतु क्या उपाय अपनाए गए हैं;

(ग) उन पर्यटन स्थलों का ब्यौरा क्या है जहां पर्यटक पुलिस की तैनाती अनिवार्य है;

(घ) क्या सरकार ने पर्यटक पुलिस तैनाती में 50:50 स्त्री-पुरुष अनुपात के प्रस्ताव को लागू किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या विदेशी नागरिकों के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए पर्यटक पुलिस हेतु कोई मानकीकृत प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के लिए जमीनी सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने के मामले को समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ लगातार उठाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने पर्यटक पुलिस की तैनाती की है। मंत्रालय द्वारा समर्पित पर्यटक पुलिस की स्थापना के लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को कोई विशेष वित्तीय पैकेज/सहायता प्रदान नहीं की गई है।

पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) के माध्यम से पर्यटक पुलिस की आवश्यकता को समझने और पर्यटकों की जरूरतों के प्रति पर्यटक पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए 'राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटक पुलिस के कामकाज और सर्वोत्तम प्रथाओं

का प्रलेखन' नामक से एक अध्ययन करवाया, जिसे सभी राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को भेजा गया। आईआईटीटीएम द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिए गए एक प्रशिक्षण मॉड्यूल को भी गृह मंत्रालय को भेजा गया, जिसे आगे सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को परिचालित किया गया।

एक व्यापक कार्यढांचा विकसित करने के लिए, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने पर्यटक पुलिस योजना पर एक अध्ययन किया और एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की। पर्यटकों के लिए एक सुरक्षित परिवेश बनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में समान पर्यटक पुलिस के कार्यान्वयन के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के सहयोग से नई दिल्ली में सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस विभाग के महानिदेशकों (डीजी)/महानिरीक्षकों (आईजी) की पर्यटक पुलिस योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

*****